न्याय
अहद
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 135/2020 प्रा.पत्र

श्री श्रवण सिंह पिता विजय सिंह राजपूत निवासी चितामबा

—प्रार्थी।

बनाम

1–श्री काना पिता नेनु तेली निवासी चितामबा वगैरा —विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 02/02/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चितामबा पटवार हल्का चितामबा भू0अ0नि0 क्षेत्र चितामबा नके खाता संख्या 150 की आ0नं0 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, कुल किता 5 रकबा 17 बिस्वा ...स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य जी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। में प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23/12/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों खते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया र ग्राम चितामबा पटवार हल्का चितामबा भू0अ0नि0 क्षेत्र चितामबा में उनके खाता ा की आ0नं0 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, कुल किता 5 रकबा 17 बिस्वा ...भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ा जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 चितामबा को 400/– रुपये श्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। श्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की ... यथास्थिति को बनाये रखते हुये ाकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फ... होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।
ग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

लिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा